माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्या :–(0755) 2551166 (PBX No.111)

क्रमाँक / गोपनीय–समन्वय / 209 / 2018 भोपाल, दिनाँक 27 / 9 / 2018

प्रति,

1. **प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष**

....

....

डी.एल.एड. द्वितीय अवसर

2. समस्त प्राचार्य संबद्धता प्राप्त डी.एड. प्रशिक्षण संस्थायें मध्यप्रदेश।

विषयः–डी.एल.एड. परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष द्वितीय अवसर (पूरक) (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) वर्ष 2018 की प्रायोगिक परीक्षा विज्ञान अध्यान अभ्यास परीक्षा बाह्य एवं आन्तरिक मूल्यांकन सम्पन्न कराने बाबत्।

– –XX– –

विषयान्तर्गत आपके परीक्षा केन्द्र से जो परीक्षार्थी डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्यूकेशन द्वितीय अवसर परीक्षा वर्ष 2018 के अन्तर्गत सम्मिलित हो रहे है उनकी अध्यापन अभ्यास प्रथम / द्वितीय वर्ष एवं विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षायें सैद्धांतिक परीक्षा दिनांक 22 / 10 / 2018 से 02 / 11 / 2018 के मध्य आवंटित परीक्षा केन्द्रों में ही सम्पन्न कराई जाना है। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें :–

(1) अध्यापन अभ्यास एवं विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा के लिये मण्डल से नियुक्त बाह्य परीक्षक से ही मुख्य परीक्षा 2018 के लिये जारी निर्देश क्रमांक / गोपनीय / 674 / 2018 भोपाल दिनांक 08 / 05 / 2018 में वर्णित बिन्दु क्रमांक 2, 3 एवं 4 के अनुसार कार्यवाही की जावे।

2) द्वितीय अवसर 2018 के पात्र ऐसे छात्र जिन्हें प्रायोगिक परीक्षा बाह्य में सम्मिलित होना है उन्हें विज्ञान प्रायोगिक / अध्यापन अभ्यास में पाठ्यक्रम अनुसार पाठ तैयार कर आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देना होगी, परीक्षा केन्द्र पर विषय की प्रायोगिक परीक्षा बाह्य परीक्षक से तिथि निर्धारित कर ली जावें एवं छात्रों को परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व केन्द्र पर अवगत कराया जावें। निर्धारित तिथि पर प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न हो जाने के पश्चात अन्य तिथि में उपस्थित होने वाले छात्रों की परीक्षा दोबारा न ली जावे, अर्थात अनुपस्थित अंकित करने के उपरांत पृथक से अंक संलग्न न किये जावे।

3) द्वितीय अवसर परीक्षा 2018 में ऐसे भी छात्र हो सकते है जिन्हें केवल प्रायोगिक परीक्षा में ही सम्मिलित होना होगा। इन छात्रों के सैद्धांतिक परीक्षा के परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अवगत कराने का दायित्व नियमित अध्ययनरत संस्था प्राचार्य का होगा।

4) **आंतरिक एवं बाह्य प्रायोगिक परीक्षाओं के अंकों की ऑन लाईन प्रविष्टि दिनांक 22.10.2018 से 05.11.2018 के मध्य कराया जाकर हार्ड कॉपी अनिवार्य रूप से दिनांक 09.11.2018 तक मण्डल मुख्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।**

5) अध्यापन अभ्यास आन्तरिक परीक्षा के अनुत्तीर्ण छात्रों के मुख्य परीक्षा हेतु प्रसारित निर्देश क्रमांक / गोपनीय / 674 / 2018 भोपाल दिनांक 08 / 05 / 2018 में वर्णित निर्देशों के अनुसार डाईट द्वारा शिक्षण अभ्यास हेतु आवंटित संबंधित संस्था / सुविधा केन्द्र के प्रधान अध्यापक शिक्षक के मार्ग दर्शन में अध्यापन कर इन्टर्नशिप विद्यालय के प्राचार्य / प्रधान अध्यापक के माध्यम से आन्तरिक परीक्षा के अंक 09 / 11 / 2018 को संस्था के प्राचार्य अथवा संस्था में पदस्थ कर्मचारी के द्वारा ऑन लाईन अंकों की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आउट मण्डल में हाथो–हाथ जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

6) प्रथम अवसर में सम्मिलित हुये ऐसे छात्रों को सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक परीक्षा के आन्तरिक मूल्यांकन में अनुपस्थित रहे है वह भी बिन्दु क्रमांक–4 में उल्लेखित निर्देशानुसार संबंधित अध्ययनरत संस्था द्वारा शिक्षण अभ्यास हेतु पूर्व में आवंटित संस्था प्राचार्य को संबंधित पूरक परीक्षा के अभिलेख जमा करेंगे। संस्था प्राचार्य अध्ययनरत संस्था द्वारा शिक्षण–अभ्यास हेतु आवंटित संस्था के प्राचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा इनका मूल्यांकन कर आन्तरिक मूल्यांकन के अंक ऑन लाईन जमा कर हार्ड कॉपी मण्डल को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

निरंतर......2

7) सैद्धांतिक परीक्षा के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में 07 एवं द्वितीय वर्ष में 10 प्रश्न पत्र होंगे। जिनकी पाठ्यक्रम के अनुसार मूल्यांकन योजना निम्नानुसार होगी :–

मूल्यांकन योजना
(प्रथम वर्ष) सैद्धांतिक पाठ्यक्रम

क्र.	पाठ्यक्रम शीर्षक	बाह्य मूल्यांकन	आंतरिक मूल्यांकन	पूर्णांक	न्यूनतम उर्त्तीणांक
1	बचपन एवं बाल विकास	70	30	100	36
2	समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा	70	30	100	36
3	शिक्षा, समाल, पाठ्यचर्या और शिक्षार्थी	70	30	100	36
4	स्वयं की पहचान	35	15	50	18
5	भाषाई समझ प्रारंभिक साक्षरता एवं हिन्दी शिक्षण	70	30	100	36
6	गणित शिक्षण प्रारंभिक स्तर–1	70	30	100	36
7	Proficiency in English	35	15	50	18
		420	180	600	240(40%) अंक अनिवार्य

मूल्यांकन योजना
(द्वितीय वर्ष) सैद्धांतिक पाठ्यक्रम

क्र.	पाठ्यक्रम शीर्षक	बाह्य मूल्यांकन	आंतरिक मूल्यांकन	पूर्णांक	न्यूनतम उर्त्तीणांक
1	सामाजिक–सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम	70	30	100	36
2	शिक्षक और शालेय संस्कृति	35	15	50	18
3	शालेय संस्कृति, नेतृत्व परिर्वतन	35	15	50	18
4	भाषा शिक्षण – कोई–1 (अ) संस्कृत भाषा शिक्षण, (ब) उर्दू भाषा शिक्षण, (स) मराठी भाषा शिक्षण	35	15	50	18
5	Pedagogy of English	50	25	75	27
6	पर्यावरण अध्ययन शिक्षण	70	30	100	36
7	सामाजिक विज्ञान शिक्षण	35	15	50	18
8	विज्ञान शिक्षण	35+25	15	75	27
9	गणित शिक्षण प्रारंभिक स्तर–2	35	15	50	18
10	विविधता, समावेशित शिक्षा और जेंडर	35	15	50	18
	योग	460	190	650	240(40%) अंक अनिवार्य

उपरोक्त के अनुक्रम में सैद्धांतिक परीक्षा के अनुत्तीर्ण छात्र विषय के केवल उस भाग में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्र होंगे जिस भाग में वे अनुत्तीर्ण है।

8) विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा

द्वितीय वर्ष में विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा पाठ्यक्रम में निर्धारित अंक योजना के अनुसार प्रावधानित रहेगी। इसके लिये संबंधित प्रशिक्षण संस्था/महाविद्यालय द्वारा ही आंतरिक परीक्षक की व्यवस्था की जावेगी। प्रायोगिक व लिखित दोनों परीक्षाओं में अलग–अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा न्यूनतम उत्तीर्णांक 27 अंक है। उपरोक्त के अनुक्रम में सैद्धांतिक परीक्षा के अनुत्तीर्ण छात्र विषय के केवल उस भाग में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्र होंगे जिस भाग में वे अनुत्तीर्ण है।

9) अंकों का प्रेषण :–

प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने की तिथि	ऑन लाईन अंकों की प्रविष्टि	हार्ड कॉपी मण्डल मुख्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि
दिनांक 22/10/2018 से 02/11/2018 के मध्य	दिनांक 22/10/2018 से 05/11/2018 के मध्य	दिनांक 09/11/2018

निरंतर......3

(i) इस वर्ष सभी प्रकार के प्रायोगिक अंक मण्डल में सीधे संस्था प्राचार्य/प्राचार्य द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जो कम से कम व्याख्याता स्तर का हो, के द्वारा मण्डल में सीधे ऑन लाईन अंकों की हार्ड कॉपी जमा कराये जावेंगे।

(ii) आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन के अंक ऑनलाइन प्रेषित किए जाने है। अंक प्रेषण हेतु जिले की समन्वय संस्था को उपलब्ध कराए गए लॉगिन एवं पासवर्ड से लॉगिन करने पर अंक प्रेषण हेतु उपलब्ध प्रारूप में अनुक्रमांकवार अंको की प्रविष्टि की जाए। अंको की प्रविष्टि उपरांत चेकलिस्ट प्रारूप में अंको का प्रिंटआउट प्राप्त करें। इस चेकलिस्ट का भलीभांति परीक्षण उपरांत अंको को लाक करे। ध्यान रहे अंतिम रूप से लाक करने के पश्चात अंको में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा ना ही इस संबंध में कोई परिवर्तन/त्रुटि संबंधी आवेदन मण्डल द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमाँक/ 210 /गोपनीय/2018 **भोपाल, दिनाँक 27/9 /2018**

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल।
2. निज सचिव, उपाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल।
3. निज सचिव, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल।
4. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित हैं।
6. आंचलिक अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
8. सी.एस.ओ., माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर लिखा जाता है कि कम्प्यूटराईज्ड आन्तरिक मूल्यांकन अध्यापन परीक्षा (बाह्य) एवं विज्ञान प्रायोगिक की ओ.एम. आर.शीट ऑनलाईन संबंधित संस्था/समन्वय संस्था को निर्धारित तिथि के पूर्व उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
9. समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्या :–(0755) 2551166 (PBX No.111)

क्रमाँक / गोपनीय / 674 / 2018

भोपाल, दिनाँक 08 / 05 / 2018

प्रति,

1. प्राचार्य
   समस्त शास. जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थायें,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त अशासकीय मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त डी.एड. प्रशिक्षण संस्थायें
   मध्यप्रदेश।

विषयः–वर्ष 2018 डी.एल.एड. प्रथम वर्ष एवं द्वितिय वर्ष के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा विषयक्।

डी.एल.एड.प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष 2018 के समस्त शास. / अशा. मान्यता / सम्बद्धता प्राप्त डी.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सैद्धांतिक / व्यावहारिक परीक्षाओं के आन्तरिक मूल्यांकन एवं अध्यापन अभ्यास / विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा. सम्पन्न कराने की निम्नानुसार तिथियां घोषित की जाती है :–

क्र.	परीक्षा एवं विषय	अंक प्रदाय करने हेतु अधिकृत माध्यम	ऑनलाईन अंक मण्डल को प्रेषण की तिथियां
1	(अ)प्रथम वर्ष सैद्धांतिक का आन्तरिक मूल्यांकन व्यवहारिक का आंतरिक मूल्यांकन।	शास.जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / सुविधा केन्द्र / महाविधालय	10 / 07 / 2018 से 22 / 07 / 2018
	(ब) इन्टर्नशिप का आंतरिक मूल्यांकन (हिन्दी, गणित, अंग्रेजी भाषा का शिक्षण, विज्ञान शिक्षण,सामाजिक विज्ञान शिक्षण,पर्यावरण अध्ययन एवं इन्टर्नशिप गतिविधि के आधार पर) एवं द्वितीय वर्ष (नियमित)	शास.जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / सुविधा केन्द्र / महाविधालय	10 / 07 / 2018 से 22 / 07 / 2018
	(स) द्वितीय वर्ष नियमित के छात्रों के लिये।	शास.जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / सुविधा केन्द्र / महाविद्यालय	10 / 07 / 2018 से 22 / 07 / 2018
2	डी.एल.एड. प्रथम वर्ष शिक्षण अभ्यास का बाह्य मूल्यांकन(कम्प्यूटर शिक्षा भाग–1, स्वास्थय, स्वच्छता, भावनात्मक विकास एवं शारीरिक शिक्षा भाग–1, कला और शिक्षा भाग–1, कार्य और शिक्षा भाग–1, हिन्दी एवं गणित,) डिप्लोमा इन एजुकेशन द्वितीय वर्ष कम्प्यूटर शिक्षा भाग–2, स्वास्थय, स्वच्छता, भावनात्मक विकास एवं शारीरिक शिक्षा भाग–2, कला और शिक्षा भाग–2 (i) विज्ञान शिक्षण (ii) अंग्रेजी भाषा का शिक्षण (iii) विज्ञान शिक्षण / सामाजिक विज्ञान शिक्षण एवं पर्यावरण अध्ययन	10 / 07 / 2018 से 22 / 07 / 2018 मण्डल द्वारा किये गये रेण्डमाइजेशन के अनुसार नियुक्त बाहय परीक्षकों द्वारा	22 / 07 / 2018
3	द्वितीय वर्ष नियमित विज्ञान प्रायोगिक	10 / 07 / 2018 से 22 / 07 / 2018 मण्डल द्वारा किये गये रेण्डमाइजेशन के अनुसार बाहय परीक्षकों द्वारा	22 / 07 / 2018

उपरोक्त समयसारिणी के आधार पर परीक्षायें सम्पन्न कराते हुये अंकों के प्रेषण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1) सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक का आन्तरिक मूल्यांकन छात्र की अध्ययनरत संस्था में सम्पन्न कराई जाना है।

2) अध्यापन अभ्यास एवं विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा बाह्य परीक्षकों के माध्यम से सम्पन्न की जावेगी। बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारीयों द्वारा

निरंतर.......2

शास. शिक्षा महाविद्यालयों/शास.जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं/शास. शालाओं में कार्यरत प्राचार्य/व्याख्याता जो एम.एड./बी.एड. प्रशिक्षित है जिनका ऑनलाइन पंजीयन कराया गया है इन्ही ऑनलाइन पंजीकृत सूचियों में से मण्डल द्वारा किये गये रेण्डमाइजेशन के अनुसार बाह्य परीक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति संचालित डी.एड. संस्थाओं के लिए संभाग के अंदर निकटवर्ती जिलों से की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में संयुक्त संचालक को बाह्य परीक्षकों के नियुक्ति आदेश परिवर्तन का अधिकार होगा, जिसकी सूचना कारण सहित मण्डल मुख्यालय को देना अनिवार्य रहेगा।

(3) इस वर्ष आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन के अंक ऑनलाइन प्रेषित किए जाने है। अंक प्रेषण हेतु आपको उपलब्ध कराए गए लॉगिन एवं पासवर्ड का उपयोग करें। इस लॉगिन एवं पासवर्ड से लॉगिन करने पर अंक प्रेषण हेतु उपलब्ध प्रारूप में अनुक्रमांकवार अंको की प्रविष्टि की जाए। अंको की प्रविष्टि उपरांत चेकलिस्ट प्रारूप में अंको का प्रिंटआउट प्राप्त करें। इस चेकलिस्ट का भलीभांति परीक्षण उपरांत अंको को लाक करे। ध्यान रहे अंतिम रूप से लाक करने के पश्चात अंको में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा ना ही इस संबंध में कोई परिवर्तन/त्रुटि संबंधी आवेदन मण्डल द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

संपूर्ण प्रविष्टि उपरांत अंको का प्रिंट आउट प्राप्त करें। इस प्रिंट आउट पर आंतरिक/बाह्य परीक्षक (जो लागू हो) एवं संस्था प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा लगाकर शील्ड लिफाफे में मण्डल मुख्यालय के गोपनीय कक्ष में दिनांक 26/07/2018 तक जमा कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमाँक/675/गोपनीय/2018 भोपाल, दिनाँक 08/05/2018
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल।
2. निज सचिव, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल।
3. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
4. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित हैं।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लिखा जाता है कि शासकीय शालाओं के प्राचार्य/व्याख्याताओं को डाईट संस्थाओं में बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्ति के आधार पर परीक्षा संपन्न कराने हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
7. वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. आंचलिक अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर भेजकर लिखा जाता है कि शासकीय शालाओं के प्राचार्य/व्याख्याताओं को डाईट संस्थाओं में बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्ति के आधार पर परीक्षा संपन्न कराने हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
10. सी.एस.ओ., माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वित्त कक्ष को संस्थावार छात्र संख्या की सूची उपलब्ध करवाये एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. विधि सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. समस्त संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं मुख्यालय से नियुक्त बाह्य परीक्षकों के टी.ए./डी.ए./पारिश्रमिक (6/– प्रति छात्र के मान से) का भुगतान पात्रतानुसार अपने कार्यालय से करना सुनिश्चित करें।
13. पंजीयक परीक्षा/सहायक सचिव, समस्त परीक्षा संभाग मा.शि.म. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पत्र की प्रति समस्त डी.एड.संबद्धता प्राप्त संस्थाओं को भिजवाए जाने हेतु।
14. जनसंपर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र.भोपाल
15. संचालक एम.पी.ऑनलाइन, भोपाल, म.प्र

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल

"D:\Table work\Coardination\DLED 2018\Dled 2018.doc"